	पंचायत निगरानी संख्या: 27/2016	
तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
21.2.2018	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी श्री देवाराम पुत्र रुपाजी, जाति- सरगडा, निवासी- पीथापुरा (एस), तहसील- रेवदर के अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवड़ा अनुपस्थित। अप्रार्थी श्री हडमत सिंह पुत्र श्री जालम सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- पीथापुरा (एस) के अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया उपस्थित। अप्रार्थी संख्या-2 सरपंच, ग्राम पंचायत, सिरोडी अनुपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता को तीन बार आवाजे लगवाई जाने के बावजूद भी प्रार्थी के वकील उपस्थित नही हुये। अप्रार्थी हडमतसिंह के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस अप्रार्थी हडमतसिंह के अधिवक्ता ने दस्तावेज फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत करते हुए विधिक दृष्टान्त RRD 1998 page 357 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए व्यक्त किया कि विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय (क.ख.) रेवदर में प्रार्थी देवाराम द्वारा अप्रार्थी हड़मत सिंह के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जो दीवानी वाद संख्या 01/2012 सिविल न्यायालय (क.ख.) रेवदर में विचाराधीन है। उक्त स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के साथ प्रार्थी देवाराम द्वारा अप्रार्थी हडमत सिंह के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया था जो अस्थाई निषेधाज्ञा के सिविल विविध प्रकरण संख्या 01/2012 में सिविल न्यायालय (क.ख.) रेवदर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.12.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया गया है। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी देवाराम की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा अप्रार्थी हड़मत सिंह के पक्ष में पंचायत संकल्प संख्या 40 दिनांक 19.2.1998 के अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 2 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अर्न्तगत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी देवाराम द्वारा अप्रार्थी हड़मतसिंह के विरुद्ध विवादित भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) रेवदर में स्थाई घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जो दीवानी वाद संख्या: 01/2012 माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) रेवदर में विचाराधीन है। चूंकि माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) रेवदर में प्रार्थी देवाराम व अप्रार्थी हडमतसिंह के मध्य विवादित भूमि के संबंध में दीवानी वाद पूर्व से ही विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में, दीवानी वाद की कार्यवाही एवं यह निगरानी कार्यवाही दोनों समानान्तर साथ साथ नही चल सकती है। अत: प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो। (आशाराम डूडी) अति. जिला कलेक्टर, सिरोही	